संख्याः– 4657 / III(2) / 13–02(मु0मं0घो0) / 2013

अमित सिंह नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 30 अगस्त, 2013

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 16 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0/कु0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु, संलग्न विवरणानुसार, उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 170.00 किमी0 + 03 सेतु तथा लागत ₹ 1189.72 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ **1101.26** लाख (₹ ग्यारह करोड़ एक लाख छब्बीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में संलग्नक के कॉलम सं0–5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 16 कार्य हेतु ₹ 1.60 लाख (₹ एक लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:–1764 / III(2) / 10–17(सामान्य) / 2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट [illegible] प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरें/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– [illegible] उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति [illegible]–2008 एवं उसके के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047 / XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण; यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण –00–24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
लो0नि0वि0

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यो की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष मे अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद मे निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यो मे से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii)- उक्त कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 1.60 लाख का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान स0-22. के अन्तर्गत अलॉटमेन्ट आई0डी0 सं0:-S13008220110 दिनांक 30-08-2013 द्वारा आपको आवंटित कोड सं0- 4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस सबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 393(A)/XXVII/(2)/2013 दि0: 28 अगस्त, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः- यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव

संख्याः- (1)/ II(2)/13-02(मु0मं0घो0)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. [illegible]
9. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लो.नि0वि0, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
लो0नि0वि0

शासनादेश संख्याः– 4657 (1)/ II(2)/13–02(मु0म0घो0)/2013 दिनांक 30 अगस्त, 2013 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई किमी0 में	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	मुख्यमंत्री घोषणा सं0– 127/2012 के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र –रूद्रप्रयाग में मयाली–जखोली– गुप्तकाशी एवं मयाली–तिलवाड़ी मोटर मार्ग का डेढ लेन में परिवर्तन एवं बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण।	98.00	568.40 (₹ 286.16 + ₹ 282.24 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
2	मा मुख्यमंत्री घोषणा सं0– 042/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में रामगढ झुल्क मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	3.00	43.92 (₹ 17.55 + ₹ 26.37 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
3	मुख्यमंत्री घोषणा सं0– 677/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत चोपड़ियाल गांव कखवाड़ी मोटर मार्ग का डामरीकरण।	8.00 + 20mt	2.56	0.10
4	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0– 215/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पपडियान के मजरा माण्दडी के लिए आशारोडी से 2 कि0मी0 सड़क निर्माण का कार्य।	2.00	21.06 (₹ 11.70 + ₹ 9.36 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
5	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0– 224/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम लाघा बडवा कांटड़ा सड़क निर्माण का कार्य।	8.00	90.00 (₹ 46.80 + ₹ 43.20 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
6	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0– 212/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मदर्सू के मजरा जाखन, दाण्डड तथा कोशियान तक 2.50 कि0मी0 मोटर मार्ग का नवीनीकरण का कार्य।	2.50	26.32 (₹ 14.62 + ₹ 11.70 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
7	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0– 217/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा मदरसू में मटोगी मदरसू मार्ग से कोल गांव से जोडा तक सड़क निर्माण का कार्य।	2.50	26.32 (₹ 29.25 + ₹ 11.70 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
[illegible]	[illegible] अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मटोगी के मजरा आगरी गांव, निगरोडा झादी तथा हरलोईथात तक मदर्सू से 5 कि0मी0 तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	[illegible]	52.65 (₹ 29.25 + ₹ 23.40 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
9	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0– 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदरसू मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	4.00	42.12 (₹ 23.40 + ₹ 18.72 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10

Photocopy Attested

सहायक अभियंता